राजस्थान–सरकार
तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर
W-6, Gorav path, Residency Road, Jodhpur
Ph.0291-2433298 Email: dte_raj@yahoo.com, Website: www.dte.rajasthan.gov.in, Fax-0291-2430398

क्रमांक : एफ 3(77)तशिनि / ई–1 / सी–2 / 3111–28 दिनांक :–14.2.2018

श्री .........................................,
.........................................,
.........................................,

विषय :– दस्तावेंजों की जॉच करवाने के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख हैं कि संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर ने पत्र संख्या संख्या पं. 1(6)प्र.सु. / अनु–3 / 2017 दिनांक 8.2.2018 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड़–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 उर्त्तीण करने के फलस्वरूप नियुक्ति देने के परिपेक्ष्य में आवेदन फार्म मय दस्तावेंज भिजवाकर नियुक्ति देने के निर्देश दिये गये।

उक्त निर्देशों की अनुपालना में नियुक्ति आदेश जारी करने के परिपेक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेंजों के साथ दिनांक 22/2/18 को उपस्थिति देवें। ताकि नियुक्ति संबंधी आवश्यक दस्तावेंजों की जॉच पश्चात् नियुक्ति संबंधी अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें :–

1. आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों से संबंधित मूल दस्तावेंज, उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र सहित की एवं उनकी सुपठनीय एक फोटो प्रति।
2. शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता (Computer संबंधी), आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओ.बी.सी. / विकलांग आदि) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी सुपठनीय एक फोटो प्रति)
3. नाम / उपनाम / विवाह संबंधी शपथ पत्र / विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का निर्धारित प्रोफोर्मा में सूचना।

4. ओ. बी. सी. वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही जारी किया गया हो एवं यह भी प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है। अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा।
6. पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न फार्म पूर्ण करने के पश्चात् फोटो चस्पा कर सत्यापित कर साथ लावें।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा,

Pl upload on DTE website

Computer Section